<u>न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर</u>

<u>प्रकरण संख्या–अपीलडि/टीए/17/2006/भीलवाडा</u>

1.भुवाना पुत्र सुडा जाति जाट निवासी केसरपुरा तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा

–अपीलान्ट

बनाम

1.लादू
2.भैरू पिसरान चतरभुज
3.मु. गलकू बेवा चतरभुज जाति जाट निवासी केसरपुरा तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
4.मु. लाड पुत्री चतरभुज पत्नी कल्याण जाट निवासी गोपालपुरा तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
5.मु. केसर पुत्री चतरभुज पत्नी हीरा जाट निवासी गोपालपुरा तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
6.मु. बदाम पुत्री चतरभुज पत्नी रामेश्वर जाट निवासी हाजीवास तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
7.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार माण्डलगढ जिला भीलवाडा

–रेस्पोडेन्टस्

<u>खण्डपीठ</u>
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी सदस्य
श्री गणेश कुमार, सदस्य

<u>उपस्थित –</u>

श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता, अपीलान्ट
श्री मदनलाल गुर्जर, अधिवक्ता, रेस्पोडेन्टस्

निर्णय

दिनांकः 30.11.2021

अपीलान्ट ने यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा द्वारा अपील संख्या 122/2004 बउनवानी भुवाना बनाम लादू व अन्य में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27–09–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी अपीलान्ट ने प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टस् के विरूद्ध विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ के समक्ष विवादित आराजी बाबत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर आराजी खसरा नम्बर 107 मिन के दक्षिणी भाग रकबा 05बीघा का खातेदार घोषित करने एवं प्रतिवादीगण को उक्त भूमि बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र में अंकित कथनों को अस्वीकार किया। विचारण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर अनुतोष सहित छः तनकीयात कायम की। तत्पश्चात् विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध करने के उपरान्त उभयपक्ष की बहस सुनकर निर्णय व डिक्री दिनांक 31–03–2004 से वादी को वाद रिकार्ड से साबित नहीं होने के आधार पर खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित इस निर्णय व डिक्री के विरूद्ध वादी अपीलान्ट ने भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 27–09–2005 से खारिज कर दी। इसी निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3. हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का तर्क है कि स्वरूपा के दो लडके दल्ला व सूडा हुए थे और दल्ला लाऔलाद फौत हो गया था उसने सुडा

के पुत्र चतरभुज को गोद लिया था और चतरभुज के वारिसान प्रतिवादी संख्या–1 से 5 है। भुवाना वादी का स्वरूपा की पुश्तैनी जमीन करीब 60साल पहले ही आराजी नम्बर 107 के दक्षिणी हिस्से में 05बीघा पर कब्जा था और बंटवारे में यह जमीन उसके हिस्से में आई थी और साक्ष्य में भी इस तथ्य की पुष्टि हुई है इसके बावजूद भी विचारण न्यायालय व प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा वादी का वाद एवं अपील खारिज कर दी। वादी का कब्जा आज भी बरकरार है और उसके कब्जे के बारे में प्रतिवादी द्वारा कभी भी कोई आपत्ति नहीं की गयी है। उक्त 05बीघा जमीन वादी की ही है।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट का तर्क है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है। वादी यह साबित नहीं कर पाया है कि पुश्तैनी जमीन कितनी थी, कौन कौन वारिस थे और कौनसी जमीन किसके हिस्से आई, ऐसा कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं है और ना ही अपील में कोई कानूनी बिन्दू निहित है। अतः अपील खारिज की जावे।

6. हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं पारित निर्णयों को अवलोकन किया।

7. प्रस्तुत प्रकरण में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की साक्ष्य की विवेचना करते हुए यह पाया है कि खसरा नम्बर 107 के अलावा कुल कितनी भूमि थी और उस भूमि में से किसको कितना कितना हिस्सा मिला, कोई तथ्य अंकित नहीं किया गया है और वादी ने खसरा विशेष में भूमि कम मिलने के आधार पर दावा किया है जबकि उक्त भूमि पुश्तैनी हो इस बारे में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। केवल प्रदर्श–पी–1 दस्तावेज पेश किया है, जिसमें भूमि चतरभुज के नाम से है और इस प्रदर्श–पी–1 के अलावा अन्य कोई दस्तावेज अभिलेख पर नहीं है जिससे यह प्रकट होता हो कि उक्त भूमि स्वरूपा के नाम हो और पुश्तैनी होते हुए बंटवारे में आई हो। पत्रावली पर ऐसा भी कोई साक्ष्य नहीं है कि दोनों पक्षों के मध्य विधिवत् बंटवारा हुआ हो। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी इस तथ्यों की पुष्टि अपने आदेश में की है। मौखिक बंटवारा विभाजन के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य व प्रमाण नहीं है। अपीलान्ट ने वाद के साथ जो सजरा पेश किया है उससे भिन्न वादी ने अपने बयानों में कथन किया है कि स्वरूपा के चार लडके दल्ला, किसना सुडा, सरोला बताये है

जबकि वादी ने वादपत्र में स्वरूपा के दो पुत्र होना ही बताये है। इस प्रकार उसके अभिवचन एवं साक्ष्य में ही विरोधाभास है। बंटवारे के वाद के लिए सर्वप्रथम वादी को जमीन पुश्तैनी होना साबित करना आवश्यक है। इसमें ऐसा कोई दस्तावेज साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है जिससे यह प्रकट हो कि उक्त जमीन पुश्तैनी मानी जावे। मौखिक साक्ष्य के आधार पर यह साबित नहीं होता कि बंटवारा कब व कितनी भूमि का हुआ और किसके हिस्से में कितनी जमीन आई और उक्त विवादित 05बीघा भूमि वादी के कब्जे एवं हिस्से में आई हो, ऐसी साक्ष्य नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रथम अपीलीय न्यायालय और विचारण न्यायालय द्वारा वादी का वाद खारिज करने में कोई भूल नहीं की है और दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है।

8. परिणामतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गणेश कुमार)
सदस्य

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)
सदस्य